फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय

रामावतार ....बनाम .... ग्राम पंचायत लालसर

मा संख्याः– 8/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। बहस अपील व धारा 5 सुनी गई। वास्ते आदेश निर्णय 6/11/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
6/11/2024	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हेतु प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी की ओर से पेश अपील मियाद बाहर होने व अपील पेश पर सुनवाई की [illegible] का प्रार्थना पत्र 96 जा० फौ पेश नहीं [illegible] होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] दर्ज रजिस्टर से [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.09 13:12:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर) जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 08 / 2024
निर्णय दिनांक : 06.11.2024

उनवान

रामावतार पुत्र मोती, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम लाखना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत लाखना जरिये सचिव / ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत लाखना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. जगदीश पुत्र कामड
3. लालचन्द पुत्र कामड
4. गोपीराम पुत्र छोटू
5. शंकर लाल पुत्र छोटू
6. सत्यनारायण पुत्र नन्दाराम
7. रतनी देवी पत्नी नन्दाराम

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम लाखना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

रेस्पोंडेन्टस्

<u>अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 08.10.1983 नामान्तरकरण संख्या 133 / 1983</u>
<u>ग्राम पंचायत लाखना, तहसील सांगानेर</u>
<u>अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

निर्णय

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 181 रकबा 0.44 है0, खसरा नम्बर 182 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 183 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 184 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 185 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 187 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 189 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 197 रकबा 0.57 है0, खसरा नम्बर 203 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 204 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 205 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 206 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 207 [illegible] 0.35 है0, खसरा नम्बर 208 / 715 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 243 [illegible] है, खसरा नम्बर 244 रकबा 0.33 है0, खसरा नम्बर 24[illegible] खसरा नम्बर 251 रकबा 0.84 है0, खसरा नम्बर 254 रकबा 0.74 है0, खसरा [illegible]र 255 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 256 रकबा 0.57 है0, खसरा नम्बर [illegible]5 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 466 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 502 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 513 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 0.02 है0, कुल किता 26 कुल रकबा 7.87 है0, एवं खसरा नम्बर 198 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 199 रकबा 0.03 है0,

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.09 13:12:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

खसरा नम्बर 498 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 499 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 501 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 437 रकबा 0.13 है0, खसरा 438 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 465 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 494 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 468 05 है0 जो वाके ग्राम लाखना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है एवं खसरा नम्बर 517 रकबा 0. खसरा नम्बर 442 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 443 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 445 रकबा 0.84 है0, खसरा नम्बर 444 रकबा 0.23 है0 जो वाके ग्राम सीतारामपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है उक्त भूमि उक्त अपील में वादग्रस्त भूमि है, उक्त भूमि अपीलान्ट की पैतृक सम्पति है। अपील में सजरा खानदान अपीलार्थी द्वारा दर्शाया गया है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट के दादा कामड की खातेदारी भूमि है जिस पर हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम एवं विरासत के अनुसार अपीलान्ट का भी अपनी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है, परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 7 के पिता व पति के मन में बेईमानी आ गई जिन्हानें अपीलान्ट के दादा कामड के स्वयं को ही कामड का वारिस पुत्र बताते हुए ही अपने हक में नामान्तरकरण संख्या 133 दिनांक 08.10.1983 को ग्राम पंचायत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से मिलिभगत कर अपने नाम खुलवा लिया जबकि उक्त वादग्रस्त भूमि में अपीलान्ट का भी हक व हिस्से है तथा अपीलान्ट भी स्व0 कामड के वारिस है अपीलान्ट के पिता स्व0 मोती के हक में विरासत का नामान्तरकरण संख्या 133 दिनांक 08.10.1983 नही खोला गया जबकि अपीलान्ट के पिता स्व0 मोती भी कामड के पुत्र थे कामड की मृत्यु के पश्चात् नियमानुसार उक्त भूमि का नामान्तरकरण उनके सभी वारिसान के मध्य खोला जाना था परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 7 स्वयं उनके पिता एवं उनके पति ने ग्राम पंचायत लाखना से मिलिभगत करते हुए अपीलान्ट के पिता मोती के नाम विरासत का नामान्तरकरण नही खोला और अन्य पुत्रों के नाम ग्राम पंचायत ने विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया जबकि कानूनी रूप से विरासत का नामान्तरकरण मृतक के सभी वारिसों के मध्य स्वीकृत होना चाहिए था जो नही किया गया जिस कारण भी उक्त नामान्तरकरण अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के पिता मोती को नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उक्त चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण आदेश पारित किया गया है जो कि कानूनी रूप से विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। चुनौतग्रस्त नामान्तरकरण अपीलान्ट के अधिकारों के विपरित जाकर स्वीकृत किया गया है चुकि अपीलान्ट अपने पिता स्व0 मोती का पुत्र है तथा अपने दादा कामड [illegible] सम्पति में विरासतन अधिकार है, अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः विरासतन की जांच की जाकर नियमानुसार कामड के सभी वारिसान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः नामान्तरकरण के सम्बन्ध में आदेश पारित किये जावे ताकि प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्राप्त हो सके। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण स्वीकृत करते हुए कामड के वारिसान की कोई जांच पडताल नही की और रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.09 13:12:42 IST
Reason: SelfAttested

बताये अनुसार ही विरासतन का नामान्तरकरण स्वीकार कर लिया पटवारी एवं सरपंच महोदय द्वारा ग्राम पंचायत के पंच पटेलों एवं वार्ड पंच से भी किसी प्रकार की कोई जांच नही करवायी और अपीलान्ट के पिता स्व0 मोती को कामड का पुत्र नही मानकर विरासत का नामान्तरकरण नही खोल कर भयंकर कानूनी भूल कारित की है जिस कारण भी उक्त चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 133 दिनांक 08.10.1983 अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट अपने हक व हिस्से की वादग्रस्त भूमि पर 1/5 हिस्से पर काबिज काश्त है और लगातार उसका उपयोग उपभोग कर रहा है हाल ही में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 मौके पर दिनांक 22.04.2024 को कुछ भू–माफियों लोगो को लाये और उक्त भूमि को बेचान करने की धमकी दी तथा अपीलान्ट को भी बेदखल करने की धमकी दी तथा अपीलान्ट को कहा कि उक्त भूमि हमारे नाम है हम इसका बैचान करेगें तथा तुम्हें बेखदल करेगें तब अपीलान्ट ने तहसील कार्यालय में जाकर दिनांक 23.04.2024 को उक्त भूमि बाबत नामान्तरकरण की नकल निकलवायी तब जाकर अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी हुई इस प्रकार जानकारी से उक्त अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है फिर भी किन्हीं कानूनी पैचिदगियां उत्पन्न नही हो जिस कारण अलग से मियाद अधिनियम बाबत डिले कन्डोन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश 08.10.1983 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत या तहसीलदार को पुनः गुणावगुण पर अपील में उठाये गये बिन्दूओं एवं अपीलान्ट के हक व अधिकारों के सम्बन्ध में निष्कर्ष अंकित कर उक्त नामान्तरकरण की जांच कर विरासत के आधार पर जांच कर निर्णय पारित किये जाने हेतु पुनः प्रतिप्रेषित किया जावे तथ वारिसों की जांच कर पुनः नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश पारित किये जावे। अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 133 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर दी है अपीलान्ट अपने हक व हिस्से की वादग्रस्त भूमि पर 1/5 हिस्से पर काबिज काश्त है और लगातार उसका उपयोग उपभोग कर रहा है हाल ही में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 मौके पर दिनांक 22.04.2024 को कुछ भू–माफिया लोगों को लाये और उक्त भूमि को बैचान करने की धमकी दी तथा अपीलान्ट को भी बेदखल करने की धमकी दी तथा अपीलान्ट को कहा कि उक्त भूमि हमारे नाम है हम इसका बैचान करेगें तथा तुम्हें बेदखल करेगें तब अपीलान्ट ने तहसील कार्यालय में जाकर दिनांक 23.04.2024 को उक्त भूमि बाबत नामान्तरकरण [illegible] कारी हुई इस प्रकार जानकारी से उक्त अपील अन्दर [illegible] की नकल दिनांक 23.04.2024 को प्राप्त किये [illegible] उक्त अपील प्रस्तुत है अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का अनपढ़ व्यक्ति है तथा [illegible] कानून का कोई ज्ञान नही है इस कारण उक्त अपील पूर्व में प्रस्तुत न[illegible] की जा सकी, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण के सम्बन्ध में अपने अधिवक्ता से कानूनी राय लेकर उक्त नामन्तरकरण की नकल दिनांक 23.04.2024 को निकलवायी तब सम्पूर्ण प्रकरण की जानकारी हुई उक्त आदेश की नकल

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.09 13:12:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (...)

दिनांक 23.04.2024 को ही चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की गई इस प्रकार अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का अनपढ़ काश्तकार व्यक्ति है तथा चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण अपीलान्ट के अधिकारों से जुड़ा हुआ है अपीलान्ट अपने पिता की एक मात्र पुत्र है कानूनी पैचिदगियों की जानकारी अपीलान्ट को नही थी इस कारण भी पूर्व में समयावधि में अपील प्रस्तुत नही की जा सकी, इस कारण भी उक्त देरी क्षमा किये जाने योग्य है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी इरादतन नही होकर परिस्थितिवश एवं अज्ञानतावश हुई है। जो कि न्याय हित में माफ किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुति में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णय करने की कृपा करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस् को जरिये रजिस्टर नोटिस तलब किया गया। दिनांक 28.06.2024 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 की ओर से श्री हिमांशु श्रीमाल एडवोकेट ने अण्डरटेकिंग दी। दिनांक 10.07. 2024 को श्री हिमांशु श्रीमाल एडवोकेट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 की ओर वकालतनामा, प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का जवाब व प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 की ओर से इस आशय का जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 133 दिनांक 08.10.1983 के विरूद्ध अपील मनगढ़न्त तथ्यों एवं विधि के प्रावधानों के विपरित प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी/अपीलार्थी का उक्त वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नही है, जब उसका वादग्रस्त भूमि पर कब्जा ही नही है तो उसका उपयोग उपभोग करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। प्रार्थी/अपीलार्थी का वादग्रस्त भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार नही है, ना ही कभी रहा है। रेस्पोडेन्टस् वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है और उक्त वादग्रस्त भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग कर रहे है। दिनांक 22.04.2024 को रेस्पोडेन्टस् से प्रार्थी/अपीलार्थी से कोई वार्ता ही नही हुई तो प्रार्थी/अपीलार्थी को वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने की धमकी देने व बेदखल करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है, इस बात की पुष्टि प्रार्थी/अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित से ही स्पष्ट हो जाती है जब प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा इस खण्ड में अंकित किया गया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 मौके पर दिनांक 22.04.2024 को भू-माफिया लोगों को लाये, यहां यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वादग्रस्त भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का मौके पर लोगों को लाये जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नही होता। प्रार्थी/अपीलार्थी ने झूंठे व बनावटी कथनों का अंकन किया गया है बल्कि वास्तविकता यह है कि वादग्रस्त भूमि साबिका खसरा नम्बर 106, 108, 109, 110, 112, 116, 117, 118, 119, 120, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 192, 193, 310, 312, 313, 314, 316, 318, 322, 323, 329, 330, 331, 336, 358, 359, 369, 394, 397, 402, 409, 425 कुल किता 39 कुल रकबा 57 बीघा 9 बिस्वा का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 के हकपूर्वाधिकारी कामड पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.09 13:12:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

रामनाथ रहा है, कामड़ पुत्र रामनाथ के पांच पुत्र मोती, जगदीश, नन्दराम, लालचन्द, छोटू हुये जिनमें से कामड़ का पुत्र मोती नेहनू पुत्र रोडू के यहां गोद चला गया, इसलिए कामड़ पुत्र रामनाथ की सम्पत्ति का नामान्तरकरण संख्या 133 दिनांक 08.10.1983 को उसके शेष चार पुत्रों जगदीश, नन्दराम, लालचन्द, छोटू के नाम तस्दीक किया गया। नेहनू पुत्र रोडू के कोई संतान नही होने से नेहनू पुत्र रोडू द्वारा कामड़ के पुत्र को गोद ले लिया गया और नेहनू पुत्र रोडू की मृत्यु के पश्चात उसकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 73 दिनांक 30.03.1973 के माध्यम से साबिका खसरा नम्बर 105 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 107 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 176 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 185 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 186 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 311 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 315 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 317 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 324 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 361 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 395 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 403 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 422 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, कुल किता 13 कुल रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा ग्राम लाखना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित सम्पूर्ण भूमि का अंकन प्रार्थी/अपीलार्थी के पिता मोती पि. मु. नेहनू के नाम अंकित हुई, प्रार्थी/अपीलार्थी के पिता मोती की मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप प्रार्थी/अपीलार्थी के पिता मोती को नेहनू पुत्र रोडू से प्राप्त सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरकरण संख्या 13 दिनांक 09.07.1999 को प्रार्थी/अपीलार्थी के पक्ष में तस्दीक किया गया, इस प्रकार प्रार्थी/अपीलार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हो गया, राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी/अपीलार्थी का नाम अंकित होने के पश्चात् प्रार्थी/अपीलार्थी अपने पिता से प्राप्त उक्त सम्पूर्ण भूमि का अन्य दीगर व्यक्तियों को विक्रय की जा चुकी है, आज वर्तमान में प्रार्थी/अपीलार्थी के पास कोई भूमि शेष नही रही है। प्रार्थी/अपीलार्थी के पिता का अन्यत्र गोद चले जाने से उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी/अपीलार्थी के पिता व स्वयं के कोई हक व अधिकार शेष नही रहे है, ऐसी दशा में प्रार्थी/अपीलार्थी का भी उक्त वादग्रस्त में कोई हक व हिस्सा निहित नही है। प्रार्थी/अपीलार्थी के पिता द्वारा उनके जीवनकाल में जानकारी होते हुए भी नामान्तरकरण जैर अपील के सम्बन्ध में कोई एतराज नही किया है, क्योंकि नामान्तरकरण जैर अपील उसकी मौजूदगी में खोला गया, इसलिए प्रार्थी/अपीलार्थी को पृथक से उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने कोई अधिकार नही होता है, ना ही उसे अपील प्रस्तुत करने का लोकस् है, इन सभी तथ्यों की जानकारी प्रार्थी/अपीलार्थी के पित[illegible] अपीलार्थी को आरम्भ से ही रही है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अपीलार्थी द्वा[illegible] स्पष्ट रूप से मयाद बाहर प्रस्तुत की गई है जो प्रथम [illegible] खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी/अपीलार्थी [illegible] नामान्तरकरण जैर अपील की आरम्भ से ही जानकारी रही है, प्रार्थी/अपीलार्थी पढ़ा-लिखा व्यक्ति है तथा प्रार्थी/अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता को तथ्यों की [illegible]र्ण जानकारी नही बताई और झूंठे, बनावटी एवं मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर नामान्तरकरण जैर अपील जानकारी के बावजूद भी मयाद बाहर प्रस्तुत की गई है जो मयाद बाहर होने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.09 13:12:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी/अपीलार्थी पढ़ा लिखा व्यक्ति है
जिसे नामान्तरकरण जैर अपील के सम्पूर्ण तथ्यों को आरम्भ से ही पूर्णरूप से
रही है। प्रार्थी/अपीलार्थी के पिता मोती का नेहनू पुत्र रोडू के यहां गोद चले
जाने के परिणामस्वरूप अपने जन्मदाता पिता की सम्पति में उसका कोई
अधिकार नही रहा, ना ही प्राप्त हो सकते है तथा नेहनू पुत्र रोडू की सम्पूर्ण
भूमि में हक व अधिकार प्राप्त हो गये। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा नामान्तरकरण जैर
अपील देरी से प्रस्तुत करने के कोई संतोषजनक कारण अंकित नही होने से
अपील को देरी से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में डिले कन्डोन पाने का अधिकारी
नही है। विधि के प्रावधानों के अनुरूप प्रार्थी/अपीलार्थी डिले कन्डोन पाने का
योग्य नही है। प्रार्थी/अपीलार्थी के हकपूर्वाधिकारी व प्रार्थी/अपीलार्थी को
नामान्तरकरण जैर अपील की आरम्भ से जानकारी रही है जो प्रार्थी/अपीलार्थी
को अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी माकुल वजह क्षम्य नही है, बल्कि
प्रार्थी/अपीलार्थी ने वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए नामान्तरकरण जैर अपील
प्रस्तुत की है जो लगभग 41 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की है, ऐसी स्थिति में
प्रार्थी/अपीलार्थी को नामान्तरकरण जैर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को
कन्डोन पाने का अधिकारी नही है, प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा नामान्तरकरण जैर
अपील देरी से प्रस्तुत होने से प्रथम दृष्टया निरस्तनीय है। अतः जवाब प्रार्थना
पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी/अपीलार्थी का
प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम खारिज किया जाकर प्रार्थी/अपीलार्थी की
अपील मयाद बाहर होने से खारिज फरमायें जाने की आज्ञा प्रदान की जावें।
रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 की ओर से प्रारम्भिक आपत्ति इस आशय की पेश
की गई कि सुयोग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी पक्षकार नही है
और ना ही अपीलार्थी के द्वारा अपील प्रस्तुत करने की कोई अनुमति चाही गई
है, इसलिए अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने का कोई लोकस स्टैण्डाई नही है,
ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील संधारण योग्य ना होने से इसी स्तर पर
खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी के पिता के जीवनकाल में नामान्तरकरण
जैर अपील के सम्बन्ध में कोई एतराज नही किया है, क्योंकि नामान्तरकरण जैर
अपील उनकी मौजूदगी में खोला गया, इसलिए प्रार्थी/अपीलार्थी को पृथक से
उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने कोई अधिकार
नही होता है, ना ही उसे अपील प्रस्तुत करने का लोकस् है, ऐसी स्थिति में भी
अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील संधारण योग्य नही है। अतः प्रारम्भिक आपत्ति
प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा
75 भू–राजस्व अधिनियम संधारण योग्य नही होने से खारिज फरमायें जाने की
आज्ञा प्रदान की जावें। अपीलार्थी द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र का जवाब
पेश नही कर सीधे बहस करना चाहा। दिनांक [illegible].09.24 को रेस्पोडेन्ट संख्या
1 की तामिल पूर्ण मानी गई और अपीलार्थी [illegible] नामान्तरकरण 133 दिनांक 08.
10.1983 के विरूद्ध अपील पेश की गई उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली पर
होने से उभयपक्षों ने अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब नही किये
जाने पर सहमति दी जिससे मूल नामान्तरकरण तलब किया जाना उचित नहीं
समझते हुए प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.09 13:12:42 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील मीमों व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश 08.10.1983 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत या तहसीलदार को पुनः गुणावगुण पर अपील में उठाये गये बिन्दूओं एवं अपीलान्ट के हक व अधिकारों के सम्बन्ध में निष्कर्ष अंकित कर उक्त नामान्तरकरण की जांच कर विरासत के आधार पर जांच कर निर्णय पारित किये जाने हेतु पुनः प्रतिप्रेषित किया जावे तथ वारिसों की जांच कर पुनः नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश पारित किये जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रारम्भिक आपत्ति में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावें।

हमने बहस उभयपक्षकारान अधिवक्ता पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि अपील को गुणावगुण पर निस्तारण करने से पूर्व धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी अपने हक व हिस्से की वादग्रस्त भूमि पर 1/5 हिस्से पर काबिज काश्त है और लगातार उसका उपयोग उपभोग कर रहा है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 मौके पर दिनांक 22.04.2024 को कुछ भू–माफिया लोगों को लाये और उक्त भूमि को बैचान करने की धमकी दी तथा अपीलार्थी को भी बेदखल करने की धमकी दी, तब अपीलार्थी ने तहसील कार्यालय में जाकर दिनांक 23.04.2024 को उक्त भूमि बाबत नामान्तरकरण की जानकारी हुई इस प्रकार जानकारी से उक्त अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अपीलार्थी ग्रामीण परिवेश का अनपढ़ व्यक्ति है तथा उसे कानून का कोई ज्ञान नही है इस कारण उक्त अपील पूर्व में प्रस्तुत नही की जा सकी, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण के सम्बन्ध में अपने अधिवक्ता से कानूनी राय लेकर उक्त नामान्तरकरण की नकल दिनांक 23.04.2024 को निकलवायी तब सम्पूर्ण प्रकरण की जानकारी हुई। नामान्तरकरण की नकल दिनांक 23.04.2024 को प्राप्त किये जाने से अन्दर मियाद उक्त अपील प्रस्तुत है। चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण अपीलार्थी के अधिकारों से जुडा हुआ है अपीलार्थी अपने पिता की एक मात्र पुत्र है कानूनी पैचिदगियों की जानकारी अपीलार्थी को नही थी, इस कारण भी पूर्व में समयावधि में अपील प्रस्तुत नही की जा सकी, इस कारण भी उक्त देरी क्षमा किये जाने योग्य है। इसके जवाब में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 का तर्क रहा कि अपीलार्थी का उक्त वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नही है, जब उसका वादग्रस्त भूमि पर कब्जा ही नही है तो उसका उपयोग उपभोग करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। अपीलार्थी का वादग्रस्त भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार नही है, ना ही कभी रहा है। रेस्पोडेन्टस् वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है और उक्त वादग्रस्त भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग कर रहे है। दिनांक 22.04.2024 को रेस्पोडेन्टस् से अपीलार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.09 13:12:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

से कोई वार्ता ही नही हुई तो अपीलार्थी को वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने की धमकी देने व बेदखल करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है. इस बात की पुष्टि अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित से ही स्पष्ट हो जाती है जब अपीलार्थी द्वारा इस खण्ड में अंकित किया गया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 मौके पर दिनांक 22.04.2024 को भू-माफिया लोगों को लाये, यहां यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वादग्रस्त भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार ही नही है तो ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का मौके पर लोगों को लाये जाने का कोई प्रश्न ही नही है। वादग्रस्त भूमि साबिका खसरा नम्बर 106, 108, 109, 110, 112, 116, 117, 118, 119, 120, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 192, 193, 310, 312, 313, 314, 316, 318, 322, 323, 329, 330, 331, 336, 358, 359, 369, 394, 397, 402, 409, 425 कुल किता 39 कुल रकबा 57 बीघा 9 बिस्वा का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 के हकपूर्वाधिकारी कामड पुत्र रामनाथ रहा है, कामड पुत्र रामनाथ के पांच पुत्र मोती, जगदीश, नन्दराम, लालचन्द, छोटू हुयें जिनमें से कामड का पुत्र मोती नेहनू पुत्र रोडू के यहां गोद चला गया, इसलिए कामड पुत्र रामनाथ की सम्पति का नामान्तरकरण संख्या 133 दिनांक 08.10.1983 को उसके शेष चार पुत्रों जगदीश, नन्दराम, लालचन्द, छोटू के नाम तस्दीक किया गया। नेहनू पुत्र रोडू के कोई संतान नही होने से नेहनू पुत्र रोडू द्वारा कामड के पुत्र को गोद ले लिया गया और नेहनू पुत्र रोडू की मृत्यु के पश्चात् उसकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 73 दिनांक 30.03.1973 के माध्यम से साबिका खसरा नम्बर 105, 107, 176, 185, 186, 311, 315, 317, 324, 361, 395, 403, 422, कुल किता 13 कुल रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा ग्राम लाखना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित सम्पूर्ण भूमि का अंकन अपीलार्थी के पिता मोती पि. मु. नेहनू के नाम अंकित हुई, अपीलार्थी के पिता मोती की मृत्यु हो जाने के पश्चात् अपीलार्थी के पिता मोती को नेहनू पुत्र रोडू से प्राप्त सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरकरण संख्या 13 दिनांक 09.07.1999 को अपीलार्थी के पक्ष में तस्दीक किया गया। राजस्व रिकॉर्ड में अपीलार्थी का नाम अंकित होने के पश्चात् अपीलार्थी अपने पिता से प्राप्त उक्त सम्पूर्ण भूमि का अन्य दीगर व्यक्तियों को विक्रय की जा चुकी है। अपीलार्थी के पिता का अन्यत्र गोद चले जाने से उक्त वादग्रस्त भूमि में अपीलार्थी के पिता व स्वयं के कोई हक व अधिकार शेष नही रहे है, ऐसी दशा में अपीलार्थी का भी उक्त वादग्रस्त में कोई हक व हिस्सा निहित नही है। अपीलार्थी के पिता द्वारा उनके जीवनकाल में जानकारी होते हुए भी नामान्तरकरण जैर अपील के सम्ब[illegible] नही किया है, इसलिए अपीलार्थी को पृथक से उक्त वादग्रस्त भूमि के [illegible] कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने कोई अधिकार नही होता है [illegible] प्रस्तुत करने का लोकस् है, इन सभी तथ्यों की जानका[illegible] मोती एवं अपीलार्थी को आरम्भ से ही रही है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी [illegible]रा अपील स्पष्ट रूप से मयाद बाहर प्रस्तुत की गई है जो प्रथम दृष्टया ही मयाद के बिन्दू पर खारिज किये जाने योग्य है। उभयपक्षों के तर्को से साबित है कि कामड के पांच पुत्र है जिसमें से मोती कामड के जीवनकाल में ही नेनू पुत्र रोडू के यहां गोद चला

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.09 13:12:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

गया और नेनू पुत्र रोडू की सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरकरण अपीलार्थी के पिता के नाम खोला है, इस तथ्य की पुष्टि अपीलार्थी द्वारा चुनौती दिये नामान्तरकरण से व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 द्वारा पेश नामान्तरकरण संख्या 73 दिनांक 30.03.1973 से होती है। नामान्तरकरण संख्या 73 के कॉलम संख्या 5 में नेनू वल्द रोडू कौम बागडा सा. अंकित है व कॉलम संख्या 11 में मौती पि0मु0 नेहनू बागडा सा0देह अंकित है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थी का पिता अन्यत्र गोद चला गया है। अपीलार्थी के पिता की भूमि का नामान्तरकरण विरासत में अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है, इस तथ्य की पुष्टि भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 द्वारा पेश नामान्तरकरण संख्या 13 दिनांक 09.07.1999 से होती है। अपीलार्थी के पिता का अन्यत्र गोद चले जाने से मूल पिता की सम्पति में अपीलार्थी के पिता का कोई अधिकार नही रहता है, अपीलार्थी को भी उस सम्पति में कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। इन सभी तथ्यों से पुष्टि हो जाती है कि अपीलार्थी व अपीलार्थी के पिता को इन सभी तथ्यों की सम्पूर्ण जानकारी पहले से होना साबित होती है। अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में ऐसे कोई सन्तोषजनक कारण अंकित नही है जिससे साबित होता हो कि अपीलार्थी अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किये जाने योग्य हो। अपीलार्थी व अपीलार्थी के पिता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही है, जब कोई पीड़ित व्यक्ति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही होता है और उसके अधिकारों का हनन होता हो तो उसे अपील पेश कर सुनवाई करने की अनुमति का प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 का पेश करना आवश्यक है जो अपीलार्थी ने धारा 96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र अपने अपील मीमों के साथ पेश नही किया है, अपीलार्थी की अपील पर सुनवाई करने की अनुमति नही दी जा सकती है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने व अपील पेश कर सुनवाई की अनुमति का प्रार्थना पत्र 96 जा0दी0 पेश नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं (उपखण्ड) मजिस्ट्रेट
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.09 13:12:42 IST
Reason: SelfAttested